सत्र समीक्षा

तेरहवीं राजस्थान विधान सभा का दशम् सत्र

तेरहवीं राजस्थान विधान सभा का दशम् सत्र गुरुवार, दिनांक 21 फरवरी, 2013 को राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम् .....' के गायन से आरम्भ हुआ तथा शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 2013 को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। इस सत्र का सत्रावसान दिनांक 22 अप्रैल, 2013 को हुआ।

सत्र	कुल बैठकें	बैठकों की तिथि
दशम् सत्र	18	फरवरी माह - 21, 22, 25, 26 एवं 27 मार्च माह - 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 व 22

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

महामहिम राज्यपाल श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2013 को सदन के समक्ष दिये गये अभिभाषण की प्रति विधान सभा के विशेषाधिकारी द्वारा सदन की मेज पर रखी गई। दिनांक 22 फरवरी, 2013 को सदस्य श्री गोविन्द सिंह डोटासरा द्वारा राज्यपाल महोदय को धन्यवाद हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन सदस्य श्री ओम प्रकाश जोशी ने किया। प्रस्ताव पर चार दिन हुई चर्चा के पश्चात् 27 फरवरी, 2013 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। वाद-विवाद में 41 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। दिनांक 22 फरवरी, 2013 को 10; 25 फरवरी, 2013 को 18; 26 फरवरी, 2013 को 8 तथा 27 फरवरी, 2013 को 5 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 15, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के 3, समाजवादी पार्टी के एक तथा एक निर्दलीय सदस्य ने भाग लिया। चर्चा में भाग लेने वाली महिला सदस्यों में भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती कमसा मेघवाल तथा श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल थीं।

उल्लेखनीय है कि महामहिम राज्यपाल श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा ने जब सदन में अभिभाषण आरम्भ किया तब सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी ने महामहिम राज्यपाल महोदया से अभिभाषण हिन्दी भाषा में देने का आग्रह किया। व्यवधान के कारण महामहिम राज्यपाल ने अभिभाषण को पढ़ा हुआ माने जाने का अनुरोध किया जिस पर अभिभाषण पढ़ा हुआ माना गया।

नेता प्रतिपक्ष को मान्यता

दशम् सत्र में दिनांक 21 फरवरी, 2013 को माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि राजस्थान विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में इस आशय का निर्णय

लिए जाने की सूचना प्राप्त हुई है कि श्री गुलाब चन्द कटारिया, विधायक को सर्वसम्मति से उक्त विधायक दल का नेता चुना गया है। यह भी सूचित किया गया कि राजस्थान विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी को प्रतिपक्षी दल के रूप में मान्यता प्रदान की हुई है तथा पार्टी के नेता श्री गुलाब चन्द कटारिया को प्रतिपक्ष का नेता मान लिया गया है।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

सत्र के दौरान दो माननीय मंत्रियों ने निम्न विषयों पर सदन में वक्तव्य दिये -

क्र.	मंत्री का नाम	दिनांक	विषय
1.	श्री बृजेन्द्र सिंह ओला आपदा प्रबंधन एवं सहायता राज्य मंत्री	7.3.2013	प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया जिससे उत्पन्न मुद्दों पर 11 सदस्यों ने स्पष्टीकरण चाहे जिनका मंत्री ने उत्तर दिया।
2.	श्री वीरेन्द्र बेनीवाल गृह राज्य मंत्री	7.3.2013	कलेक्ट्रेट परिसर तथा जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर जयपुर में प्रदर्शन कर रहे वकीलों एवं पुलिस में संघर्ष के दौरान हुए लाठीचार्ज से उत्पन्न स्थिति पर वक्तव्य।

अध्यक्षीय व्यवस्था

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 8 मार्च, 2013 को श्री राजेन्द्र राठौड़ ने अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) वर्ष 2012-13 पर मतदान एवं पारण के दौरान प्रक्रिया के नियम 286 के अन्तर्गत मत विभाजन की मांग को विशेषाधिकार मानते हुए कहा कि 'सभापति महोदय द्वारा अनुपूरक अनुदान की मांगें यह कहते हुए पारित करा दी गई कि मुखबंद के दौरान मत विभाजन नहीं हो सकता, अतः पहले इस पर व्यवस्था दी जाये' इस व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अमराराम, श्री राव राजेन्द्र सिंह तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री शांती कुमार धारीवाल ने विचार व्यक्त किये।

इस प्रश्न पर माननीय अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी कि 'मैंने पूरे प्रकरण को देख लिया है, चूंकि प्रकरण समाप्त हो चुका है, इस पर व्यवस्था देने की बाध्यता नहीं है। विपक्ष की मांग को देखते हुए मैं यह व्यवस्था दे रहा हूँ कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक में आम सहमति से यह निर्णय लिया गया था कि अनुपूरक अनुदान की मांगें मुखबंद के द्वारा पारित की जायेंगी। इस आशय से सम्बन्धित कार्य सलाहकार समिति का 30वां प्रतिवेदन सदन में रखा जा चुका है तथा सदन द्वारा उस पर सहमति व्यक्त की जा चुकी है। सदन की परम्परा रही है कि मुखबंद पर कोई चर्चा नहीं होती। आसन द्वारा मुखबंद का प्रयोग किये जाने के बाद अनुदान/अनुपूरक/अतिरेक मांगें सदन के समक्ष 'हाँ' एवं 'ना' कहे जाने के पश्चात् अनुदान/अनुपूरक/अतिरेक की समस्त मांगे सदन द्वारा पारित कर दी जाती हैं, यह इस सदन की परम्परा रही है, अतः इस व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न को खारिज करता हूँ।'

प्रश्न काल

समीक्ष्य सत्र में 135 माननीय सदस्यों द्वारा कुल 6077 तारांकित तथा अतारांकित प्रश्न प्रस्तुत किये गये। प्राप्त प्रश्नों में से माननीय सदस्यों द्वारा मौखिक उत्तर के लिए कुल 2614 प्रश्न प्रस्तुत किये गये जिनमें से 479 तारांकित प्रश्न, प्रश्न-सूची में सूचीबद्ध किये गये। 32 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 40-40 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि श्री अनिल जैन ने 39, 4 सदस्यों ने 38-38, श्री भगवान सहाय सैनी ने 36 तथा शेष 97 सदस्यों ने 35 अथवा इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में सर्वश्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, किरण माहेश्वरी तथा अनीता सिंह ने सर्वाधिक 40-40 प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए प्रश्नों में सर्वाधिक 14 प्रश्न श्री बाबूसिंह राठौड़ के थे जबकि 13-13 प्रश्न श्रीमती किरण माहेश्वरी तथा श्री रामहेत सिंह यादव के थे।

उक्त के अतिरिक्त 3463 अतारांकित प्रश्न भी लिखित उत्तर के लिए प्राप्त हुए जिसमें से 563 प्रश्न, प्रश्नसूची में सूचीबद्ध हुए। 36 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 60-60 प्रश्न प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में श्रीमती किरण माहेश्वरी तथा श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल ने सर्वाधिक 60-60 प्रश्न प्रस्तुत किये। इस प्रकार तीन सदस्यों ने 59-59, दो सदस्यों ने 58-58 तथा शेष 104 सदस्यों ने 57 या इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए अतारांकित प्रश्नों में से सर्वाधिक 17 प्रश्न श्री घनश्याम तिवाड़ी के सूचीबद्ध हुए । महिला सदस्यों में सर्वाधिक 12 प्रश्न श्रीमती किरण माहेश्वरी के सूचीबद्ध हुए।

प्राप्त प्रश्नों के विभागानुसार विश्लेषण के अनुसार तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 204 प्रश्न शिक्षा तथा ऊर्जा विभाग, 193 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 162 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा 155 प्रश्न गृह विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 29 प्रश्न शिक्षा विभाग, 28-28 प्रश्न सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, 24 प्रश्न उच्च शिक्षा विभाग तथा 21 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित थे। प्राप्त अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 369 प्रश्न शिक्षा विभाग, 281 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 199 प्रश्न ऊर्जा विभाग तथा 185 प्रश्न गृह विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 55 प्रश्न शिक्षा विभाग, 37-37 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग, 30 प्रश्न स्वायत्त शासन विभाग तथा 25 प्रश्न परिवहन विभाग से सम्बन्धित थे।

यदि दलवार विश्लेषण किया जाये तो दसवें सत्र में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिये गये 2033 तारांकित प्रश्नों में से 361 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 397 में से 77, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के 120 में से 20, निर्दलीय के 32 में से 10, जनता दल (यूनाइटेड) के 12 में से 2 तथा समाजवादी पार्टी के 20 में से 9 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। इसी प्रकार अतारांकित प्रश्नों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिये गये 2615 प्रश्नों में से 412 प्रश्न सूचीबद्ध हुए

जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 622 में से 115, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के 179 में से 22, निर्दलीयों के 20 में से 8, समाजवादी पार्टी के 18 में से 5 तथा जनता दल (यूनाइटेड) के 9 में से 1 प्रश्न सूचीबद्ध हुआ।

यदि लिंगवार विश्लेषण किया जाये तो महिला सदस्यों द्वारा दिये गये कुल 321 तारांकित प्रश्नों में से 64 प्रश्न सूचीबद्ध हुए तथा 426 अतारांकित प्रश्नों में से 74 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। शेष पुरुष सदस्यों द्वारा दिये गये 2293 तारांकित प्रश्नों में से 415 तथा 3037 अतारांकित प्रश्नों में से 489 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 268 तारांकित प्रश्नों में से 50 तथा 290 अतारांकित प्रश्नों में 50 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 26 तारांकित प्रश्नों में से 6 तथा 133 अतारांकित प्रश्नों में से 22 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। निर्दलीय महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 27 तारांकित प्रश्नों में से 8 तथा 3 अतारांकित प्रश्नों में 2 प्रश्न ही सूचीबद्ध हुए।

दिनांक 27 फरवरी, 2013 को सदन में हुई व्यवधान तथा अव्यवस्था के कारण प्रश्नकाल 11.43 बजे स्थगित हुआ। सूचीबद्ध हुए तारांकित प्रश्नों में से 86 प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई। सर्वाधिक 8-8 प्रश्नों पर दिनांक 12, 19 तथा 20 मार्च, 2013 को चर्चा हुई।

आधे घण्टे की चर्चा

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 7 मार्च, 2013 को डॉ. जसवंत सिंह यादव के तारांकित प्रश्न संख्या 89 (559/आबकारी) का उत्तर जो दिनांक 27 फरवरी, 2013 को दिया गया था, से उत्पन्न मुद्दों पर आधे घण्टे की चर्चा उठायी। आबकारी मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर प्रतिपक्ष के नेता श्री गुलाब चन्द कटारिया ने स्पष्टीकरण चाहा जिसके सम्बन्ध में आबकारी मंत्री श्री राजेन्द्र पारीक ने स्पष्टीकरण दिया। चर्चा में संसदीय कार्य मंत्री श्री शांती कुमार धारीवाल ने भी स्थिति स्पष्ट की।

स्थगन प्रस्ताव

दशम् सत्र में माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था देते हुए प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत 54 माननीय सदस्यों के 218 स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई, इनमें से 30 प्रस्तावों पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा अभियुक्ति दी गई। स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 51 सदस्यों ने 207 प्रस्ताव तथा माकपा के 3 सदस्यों ने 11 प्रस्ताव प्रस्तुत किये। 9 महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी 40 प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये। श्री कैलाश चन्द भंसाली, डॉ. जसवंतसिंह यादव एवं श्री ओम बिरला ने क्रमशः सर्वाधिक 13, 12 व 11 प्रस्ताव प्रस्तुत किये जबकि महिलाओं में सर्वाधिक 14 प्रस्ताव श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल ने प्रस्तुत किये ।

विशेष उल्लेख की सूचनाएँ

समीक्ष्य सत्र में 80 माननीय सदस्यों की ओर से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की 166 सूचनाएं प्राप्त हुईं । इनमें से 106 सूचनाओं को सदन में पढ़ा गया तथा 60 सूचनाओं को सदन में पढ़ा हुआ माना गया । प्रस्तुत सूचनाओं में से भारतीय जनता पार्टी के 56 सदस्यों ने 132, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19 सदस्यों ने 28, माकपा के 2 सदस्यों ने 2, जनता दल (यू) के एक सदस्य ने दो तथा निर्दलीय एवं समाजवादी पार्टी के सदस्य द्वारा एक-एक सूचना प्रस्तुत की गई । प्रस्तुत सूचनाओं में से 25 सूचनाएँ 12 महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गईं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी की 11 सदस्याओं ने 24 सूचनाएँ तथा इनेकां की श्रीमती बसंती देवी ने एक सूचना प्रस्तुत की । महिलाओं में सर्वाधिक 4-4 सूचनाएँ श्रीमती कमसा मेघवाल एवं श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास ने प्रस्तुत कीं।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये विषय

समीक्ष्य सत्र में पर्ची के माध्यम से 35 माननीय सदस्यों को अविलम्बनीय लोक महत्त्व के 49 विषय सदन में उठाने की अनुमति प्रदान की गई जिनमें से 18 विषयों पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा अभियुक्ति दी गई । भारतीय जनता पार्टी के 29 सदस्यों द्वारा 41 विषय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 सदस्यों ने 3 विषय, माकपा के तीन सदस्यों द्वारा पाँच विषय सदन में उठाये गये। 2 महिला सदस्यों द्वारा 5 विषय सदन में उठाये गये। सर्वाधिक 5 विषय श्री अब्दुल सगीर खान तथा 3 विषय श्री सुखराम ने उठाये।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

दशम् सत्र के दौरान 11 माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया। प्रस्तावों पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया। ध्यान आकर्षित करने वाले सदस्यों में से भारतीय जनता पार्टी के 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा माकपा के एक-एक सदस्य थे। महिला सदस्यों में श्रीमती चन्दकान्ता मेघवाल ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

याचिकाओं का उपस्थापन

समीक्ष्य सत्र में 13 सदस्यों द्वारा 31 याचिकाएँ उपस्थापित की गईं । याचिका उपस्थापित करने वाले सदस्यों में से भारतीय जनता पार्टी के 12 सदस्यों ने 30 याचिकाएँ तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री प्रदीप कुमार सिंह ने एक याचिका उपस्थापित की। याचिकाएँ उपस्थापित करने वाले सदस्यों में 5 महिला विधायक भी थीं जिन्होंने 7 याचिकाएँ उपस्थापित कीं। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास ने सर्वाधिक तीन याचिकाएँ उपस्थापित कीं। पुरुष सदस्यों में श्री बाबूसिंह राठौड़ ने सर्वाधिक 6 तथा श्री शिवजीराम मीणा ने 5 याचिकाएँ उपस्थापित कीं।

सदन में अव्यवस्था

1. समीक्ष्य सत्र में दिनांक 26 फरवरी, 2013 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए वाद-विवाद के दौरान श्री हनुमान बेनीवाल के भाषण के समय सदन में

अव्यवस्था हो गई तथा बैठक आधे घण्टे के लिए स्थगित की गई। बैठक पुनः समवेत होने पर भी व्यवधान जारी रहा तथा 18 मिनट पश्चात् ही सदन की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

2. दिनांक 27 फरवरी, 2013 को प्रश्नकाल के दौरान आबकारी मंत्री श्री राजेन्द्र पारीक के उत्तर से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने वैल में आकर नारेबाजी की। अव्यवस्था के कारण सदन की बैठक आधे घण्टे के लिए स्थगित की गई।

3. दिनांक 7 मार्च, 2013 को कलेक्ट्रेट परिसर तथा जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बनीपार्क, जयपुर में प्रदर्शन कर रहे वकीलों एवं पुलिस में संघर्ष के दौरान हुए लाठीचार्ज से उत्पन्न स्थिति पर गृह राज्य मंत्री के वक्तव्य से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन के वैल में आकर नारेबाजी करने से सदन में अव्यवस्था हुई। व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

4. दिनांक 8 मार्च, 2013 को अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) वर्ष 2012-13 पर मतदान एवं पारण के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा मत विभाजन की मांग को लेकर सदन में अव्यवस्था व्याप्त हो गई। इसके कारण सदन की बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित हुई।

5. दिनांक 13 मार्च, 2013 को राजस्व विभाग की अनुदान की मांगों पर डॉ. दिगम्बर सिंह के भाषण के दौरान उत्पन्न मुद्दे पर सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों के कारण भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने वैल में आकर नारेबाजी की। इस पर सदन की बैठक आधे घण्टे के लिए स्थगित हुई। बैठक पुनः समवेत होने पर नारेबाजी जारी रही तद्न्तर सदन की कार्यवाही कार्यसूची समाप्ति के पश्चात् अगले दिन के लिए स्थगित की गई।

6. दिनांक 20 मार्च, 2013 को श्री कैलाश चन्द भंसाली द्वारा पर्ची के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा कतिपय कम्पनियों को जमीन के आबंटन में अनियमितता के मुद्दे पर प्रतिपक्षी सदस्यों ने सदन के वैल में आकर नारेबाजी की तथा इस दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अपने स्थान से नारेबाजी की जिससे सदन में अव्यवस्था व्याप्त हो गई। इसके कारण इस दिन प्रस्तुत हुई अनुदान की मांगों पर सदस्य अपने विचार व्यक्त नहीं कर सके।

7. दिनांक 21 मार्च, 2013 को अनुदान की मांगों पर विचार तथा मुखबंद होने के कारण सदस्यों को विचार व्यक्त करने हेतु और समय देने के सम्बन्ध में उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र पारीक तथा सरकारी मुख्य सचेतक डॉ. रघु शर्मा के मध्य हुए वार्तालाप पर प्रतिपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। इससे पूर्व तेरहवीं विधान सभा के सदस्यों के समूह चित्र के लिए सदन की बैठक सायं 5.45 बजे 45 मिनट के लिए स्थगित की गई।

सदन में धरना

समीक्ष्य सत्र में निम्न माननीय सदस्यों ने सदन में धरना दिया -

दिनांक	सदस्य का नाम	मुद्दा
22.02.2013	श्री मोहन लाल गुप्ता श्री अशोक परनामी	जयपुर में सफाई व अन्य कार्यों के लिए यूजर चार्जेज को वापस लेने के लिए।
06.03.2013	श्री शंकरसिंह रावत	बजट भाषण के दौरान अपनी मांग को लेकर।
13.03.2013	श्री विजय बंसल डॉ. दिगम्बर सिंह श्रीमती अनीता सिंह श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा'	बजट में भरतपुर में यूनिवर्सिटी तथा मेडिकल कॉलेज के लिए प्रावधान को लेकर।
13.03.2013	श्री भवानी सिंह राजावत	प्रशासन शहरों के संग अभियान से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण पर।
18.03.2013	श्री अमरा राम श्री पेमाराम श्री पवन दुग्गल श्री हनुमान बेनीवाल	रोडवेज में अनियमितता से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव पर।
20.03.2013	श्री हनुमान बेनीवाल	प्रश्न संख्या 374 पर पूरक प्रश्न पूछने को लेकर।
20.03.2013	श्रीमती किरण माहेश्वरी श्री वासुदेव देवनानी	पर्ची के दौरान राज्य सरकार द्वारा कतिपय कम्पनियों को जमीन के आबंटन में अनियमितता पर।

सदन से बहिर्गमन

1. दिनांक 8 मार्च, 2013 को प्रश्नकाल के दौरान चिकित्सकों के रिक्त पदों के सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री एमादुद्दीन अहमद खान 'दुर्रू मियां' के उत्तर से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।
2. दिनांक 20 मार्च, 2013 को श्री कैलाश चन्द भंसाली द्वारा पर्ची के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा कतिपय कम्पनियों को जमीन के आबंटन में अनियमितता के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने बहिर्गमन किया।

शासकीय संकल्प

समीक्ष्य सत्र के दौरान दिनांक 22 मार्च, 2013 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री एमादुद्दीन अहमद खान 'दुर्रू मियां' ने शासकीय संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत किया कि 'यतः संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में गोवा, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य के विधान मण्डलों के सभी सदनों द्वारा इस आशय के संकल्प पारित किये गये हैं कि मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 42) को संसद द्वारा संशोधित किया जाये।

और यतः पूर्वोक्त संकल्पों के अनुसरण में संसद ने मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) पारित किया है;

और यतः, उक्त संशोधन अधिनियम का प्रसार उन्हीं अन्य राज्यों पर होगा जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा इस अधिनियम को अंगीकार करे;

और यतः इस सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) को राजस्थान राज्य में अंगीकार किया जाना चाहिए;

अतः अब, संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में यह सभा इसके द्वारा यह संकल्प करती है कि मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) को राजस्थान राज्य में अंगीकार किया जाये।'

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन द्वारा पारित किया गया।

गैर-सरकारी संकल्प

समीक्ष्य सत्र के दौरान दिनांक 22 मार्च, 2013 को तीन सदस्यों ने निम्न विषयों पर सदन में गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किये -

क्र.	सदस्य का नाम	संकल्प का शीर्षक
1.	श्री ओम बिरला	यह सदन संकल्प करता है कि स्वस्थ, शिक्षित, विकसित, स्वर्णिम राजस्थान के निर्माण हेतु सरकार आवश्यक कदम उठाये।
2.	श्री प्रभूलाल सैनी	यह सदन संकल्प करता है कि विधायिका जनहित के विषयों पर निरर्थक आलोचना या तारीफ के बजाय निर्णायक व निष्कर्ष-परक बहस कर सार्थक भूमिका का निर्वहन करेंगे।
3.	श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास	यह सदन संकल्प करता है कि सरकार नारी की महत्ता, नारीत्व का गौरव और महिलाओं के प्रति मातृ शक्ति को पवित्र दृष्टि से देखने एवं उनके विकास से सम्बन्धित अध्ययन सामग्री और स्वःसुरक्षा प्रशिक्षण को प्रदेश के समस्त स्तर के शिक्षा पाठ्यक्रमों में अनिवार्य रूप से लागू करे।

उक्त संकल्पों पर सदन में विचार किया गया। श्री ओम बिरला द्वारा प्रस्तुत संकल्प गत सत्र में प्रस्तुत किया गया था तत्समय श्री ओम बिरला तथा श्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने विचार व्यक्त कर दिये थे। इस संकल्प पर अग्रेत्तर विचार करने के बाद संकल्प सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

श्री प्रभूलाल सैनी द्वारा प्रस्तुत गैर-सरकारी संकल्प पर 12 सदस्यों ने विचार व्यक्त किये तथा सहकारिता मंत्री श्री परसादीलाल मीणा ने सरकार की ओर से विचार प्रकट किये। श्री सैनी द्वारा संकल्प वापस लिया गया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास द्वारा प्रस्तुत गैर-सरकारी संकल्प पर श्रीमती जकिया तथा श्री राजकुमार रिणवां ने विचार व्यक्त किये। श्रीमती व्यास द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर वाद-विवाद अपूर्ण रहा।

समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

दशम् सत्र के दौरान जन लेखा समिति के 41, कार्य सलाहकार समिति के 4, प्राक्कलन समिति 'ख' के तीन, नियम समिति के दो एवं याचिका समिति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति, प्राक्कलन समिति 'क', अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति तथा प्रश्न एवं संदर्भ समिति का एक-एक प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किया गया।

वित्तीय कार्य

(क) अनुपूरक अनुदान तथा अतिरेक मांगों का उपस्थापन एवं मतदान

दशम् सत्र में दिनांक 7 मार्च, 2013 को श्री शांती कुमार धारीवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने वर्ष 2012-13 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन किया जिसे दिनांक 8 मार्च, 2013 को आसन द्वारा मुखबंद का प्रयोग कर सदन द्वारा पारित किया गया।

दिनांक 22 मार्च, 2013 को श्री शांती कुमार धारीवाल ने वर्ष 2009-10 के लिए अतिरेक मांगों का उपस्थापन किया।

(ख) आय-व्ययक अनुमान का उपस्थापन

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 6 मार्च, 2013 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-2014 का उपस्थापन किया । आय-व्ययक पर चार दिन सामान्य वाद-विवाद हुआ जिसमें 46 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। प्रथम दिन दिनांक 7 मार्च, 2013 को व्यवधान के कारण बहस नहीं हो पाई; 8 मार्च, 2013 को 8; 11 मार्च, 2013 को 26 तथा 12 मार्च, 2013 को 12 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया । दिनांक 12 मार्च, 2013 को सरकार की ओर से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने चर्चा का उत्तर दिया। सामान्य वाद-विवाद में भारतीय जनता पार्टी के 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 20, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), समाजवादी पार्टी, जनता दल (यू) एवं निर्दलीयों में से एक-एक सदस्य ने भाग लिया ।

(ग) अनुदान की मांगों पर विचार एवं पारण

समीक्ष्य सत्र में निम्नलिखित अनुदान की मांगों पर सदन में विचार एवं मतदान हुआ और शेष मांगों को 21 मार्च, 2013 को मुखबंद का प्रयोग किया जाकर सदन द्वारा पारित किया गया।

मांग सं.	विभाग	तिथि	कटौती प्रस्ताव	चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या
8	राजस्व	13.3.2013	143	2 (व्यवधान)
9	वन	13.3.2013	116	2 (व्यवधान)
24	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	14.3.2013	240	27
27	पेयजल योजना	15.3.2013	248	35
46	सिंचाई (इं.गां.न.प. सहित)	15.3.2013	158	35
37	कृषि	18.3.2013	136	20
39	पशुपालन एवं चिकित्सा	18.3.2013	141	20
16	पुलिस	19.3.2013	210	36
17	कारागार	19.3.2013	79	36
29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक वि.	20.3.2013	73	व्यवधान
28	ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम	20.3.2013	122	व्यवधान
50	ग्रामीण रोजगार	20.3.2013	52	व्यवधान
13	आबकारी	21.3.2013	89	15 (व्यवधान)
42	उद्योग	21.3.2013	92	15 (व्यवधान)
43	खनिज	21.3.2013	91	15 (व्यवधान)

विधायी कार्य

(क) वित्तीय समितियों का गठन

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 12 मार्च, 2013 को सरकारी मुख्य सचेतक डॉ. रघु शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जिसमें चारों वित्तीय समितियों के लिए 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था, पर एक अन्य प्रस्ताव द्वारा माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त किया गया कि वे इन समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासम्भव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाये जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, के अनुसार सदस्यों का मनोनयन करें।

(ख) प्रवर समिति के कार्यकाल में बढ़ोतरी

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 22 फरवरी, 2013 को श्री हेमाराम चौधरी, सभापति, जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 पर गठित प्रवर समिति ने प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया, जिस पर सदन ने सहमति प्रदान कर दी।

(ग) अध्यादेश

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 21 फरवरी, 2013 को निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखे गये-

1. राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियाँ (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (वर्ष 2012 का अध्यादेश संख्या 12)
2. राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (वर्ष 2012 का अध्यादेश संख्या 13)
3. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 1)
4. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 2)
5. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 3)
6. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 4)
7. राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 5)

(घ) सत्र के दौरान पारित विधेयक

समीक्ष्य सत्र में निम्न विधेयक सदन/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त कर सदन में पुर:स्थापित किये गये। विधेयकों का विवरण निम्न प्रकार है -

विधेयक सं./वर्ष	विधेयक का नाम	पुर:स्थापन की तिथि	विचार की तिथि	पारण की तिथि
39/2012	राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2012	22.2.2013	22.3.2013	22.3.2013
1/2013	राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2013	22.2.2013	18.3.2013	18.3.2013
2/2013	राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2013	8.3.2013	8.3.2013	8.3.2013
3/2013	राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2013	21.3.2013	22.3.2013	22.3.2013
4/2013	राजस्थान वित्त विधेयक, 2013	6.3.2013	22.3.2013	22.3.2013
5/2013	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2013	26.2.2013	18.3.2013	18.3.2013

6/2013	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2013	26.2.2013	18.3.2013	18.3.2013
7/2013	राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013	26.2.2013	18.3.2013	18.3.2013
8/2013	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013	26.2.2013	18.3.2013	18.3.2013
9/2013	राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2013	26.2.2013	18.3.2013	18.3.2013
10/2013	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013	26.2.2013	18.3.2013	18.3.2013
11/2013	राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) विधेयक, 2013	11.3.2013	22.3.2013	22.3.2013
12/2013	राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013	11.3.2013	22.3.2013	22.3.2013
13/2013	राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2013	12.3.2013	22.3.2013	22.3.2013
14/2013	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013	14.3.2013	22.3.2013	22.3.2013
15/2013	राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013	19.3.2013	22.3.2013	22.3.2013
16/2013	राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013	19.3.2013	22.3.2013	22.3.2013
17/2013	राजस्थान भूमि (अंतरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 2013	19.3.2013	22.3.2013*	-

* राजस्थान भूमि (अंतरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 2013 को दिनांक 22 मार्च, 2013 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया।

शोकाभिव्यक्ति

समीक्ष्य दशम् सत्र में सदन में निम्नांकित के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया -

नाम	पद	निधन की तिथि
	[21.02.2013]	
1. श्री इन्द्र कुमार गुजराल	पूर्व प्रधान मंत्री	30.11.2012
2. श्री कैलाशपति मिश्र	पूर्व राज्यपाल, गुजरात एवं पूर्व कार्यवाहक राज्यपाल, राजस्थान	03.11.2012
3. श्री पंचनाथम षणमुगम	पूर्व मुख्यमंत्री, पुडुचेरी	02.02.2013
4. श्री नित्यानन्द स्वामी	पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड	12.12.2012
5. श्री रामनारायण चौधरी	पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष, रा.वि.स. पूर्व सदस्य, 4-7 व 10-12वीं रा.वि.स.	18.10.2012
6. श्री बंशीलाल पटवा	पूर्व सदस्य, सातवीं एवं नौवीं रा.वि.स.	17.01.2013
7. श्री रामगोपाल सिसोदिया	पूर्व सदस्य, पाँचवीं एवं आठवीं रा.वि.स.	23.10.2012
8. श्री राधेश्याम बंशीवाल	पूर्व सदस्य, सातवीं राजस्थान विधान सभा	20.11.2012
9. श्री गोकुलचन्द शर्मा	पूर्व सदस्य, सातवीं राजस्थान विधान सभा	06.01.2013
10. श्री नाथूराम	पूर्व सदस्य, सातवीं राजस्थान विधान सभा	22.01.2013
11. श्री मूलचन्द कटेवा	पूर्व सदस्य, चौथी राजस्थान विधान सभा	19.11.2012
12. श्री हनुमान सिंह चौधरी	पूर्व सदस्य, तीसरी राजस्थान विधान सभा	13.11.2012
13. इलाहाबाद महाकुंभ में हुए हादसे में मारे गये व्यक्तियों के प्रति संवेदना		10.02.2013
	[07.03.2013]	
15. श्री चेतराम मीणा	पूर्व सदस्य, पाँचवीं एवं सातवीं रा.वि.स.	04.03.2013

✧✧✧